

21/10/2021

पत्रावली आज प्रशासन गांवां कुं
 जंग मन्जियान 2021 ग्राम पंचायत
 विनायकपुरा कॅम्प कोर्ट में प्रस्तुत
 हुई। जिसमें वकील वादी उपस्थित
 होकर उक्त न्यायालय के पार्थना पत्र
 अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व
 अधिनियम 1956 के अन्तर्गत कां
 जरीय विद्दो करने का निर्देश किया
 गया।

वकील वादी के निर्देश पर उक्त
 पार्थना पत्र कां जरीय विद्दो खारिज
 किया जाता है। पत्रावली नैसल
 शुमार होकर नम्बर से कम होकर
 दाखिल दफ्तर है।

सहायक कमिश्नर एवं
 उपखण्ड अधिकारी, बाबरी



21/10/2021
 विद्दो किया गया
 है।